–:प्रेस विज्ञप्ति:–

निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0:–213 दिनांक 03 जून, 2021 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या 06/2018/190/64–2/2018–1(68) 2006, दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों जिनकी शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडिएट हो तथा जिनके अभिभावक की ग्रामीण व शहरी क्षेत्र दोनों में समान रूप से वार्षिक आय सीमा रू0 1.00 लाख तक होनी चाहियें, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, अभ्यर्थी बेरोजगार हो तथा किसी शिक्षण संस्था से छात्रवृत्ति न लेता हो तथा अभ्यर्थी किसी शिक्षण संस्थान में संस्थागत के रूप में अध्ययनरत् न हो, को ओ–लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण जिसकी अवधि 01 वर्ष एवं सी0सी0सी0 कंप्यूटर प्रशिक्षण जिसकी अवधि 03 माह होगी, के लिये पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जारी वेबसाइड **backwardwelfareup.gov.in/obccomputertraining.upsdc.gov.in** पर दिये गये लिंक पर लॉगिन करके निर्धारित तिथि दिनांक 25 जुलाई, 2021 तक शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट आउट प्राप्त करके निम्न अभिलेख जैसे– आय व जाति प्रमाण पत्र (दोनों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू/ई–डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइड पर होना) हाईस्कूल व इण्टर अंक पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति सहित हार्डकापी दो प्रतियों में कार्यालय जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी विकास भवन कक्ष संख्या–213 जोया रोड अमरोहा में दिनांक 25 जुलाई, 2021 तक सांय 5:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। इसके उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(शक्ति सरन श्रीवास्तव)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
अमरोहा।

कार्यालय जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, अमरोहा।

पत्रांकः-508 पि0व0क0/विज्ञ0/ओ–लेवल/सी0सी0सी/प्रचार–प्रसार/2021–22 दिनांकः– 14/07/21

प्रतिलितिः– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1.निदेशक महोदया, पिछडा वर्ग कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
2.जिलाधिकारी महोदय, अमरोहा।
3.मुख्य विकास अधिकारी, अमरोहा।
4.जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अमरोहा।
5.मण्डलीय उपनिदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
6.संपादक समस्त हिन्दुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना अधिकारी अमरोहा, को 15 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति उर्दू/हिन्दी के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
अमरोहा।